संख्या-73/2456/30-3-14-10बी/2013टी0सी0

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 30 सितम्बर, 2014

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-लखनऊ व आगरा में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल के निर्माण हेतु संशोधित ड्राइंग का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2062ए/2014-17-नजारत/2013, दिनॉक 29-08-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल के निर्माण हेतु नक्शों के मानकीकरण एवं लागत के अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-3/2011/30-3-13-10बी/2013, दिनॉक 13-12-2013 में अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार सम्भागीय परिवहन कार्यालय- लखनऊ व आगरा में स्थानाभाव के कारण सारथी हॉल के निर्माण में आ रही बाधा के निवारण हेतु कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ व आगरा के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा तैयार की गयी संशोधित ड्राइंग को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनॉक 26-08-2014 में निहित निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) सारथी हॉल के निर्माण हेतु मॉडल नक्शों के मानकीकरण तथा लागत के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-10-13-3-30/2011/3बी,2013/ दिनॉक 13-12-2013 में निहित शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-73/2456(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in